मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २०२५

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवोओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०२५ है. — संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तेरह हजार चार सौ छिहत्तर करोड़ चौरानवे लाख तिरासी हजार पांच सौ पिचासी होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी. — वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए राज्य की संचित निधि में से रुपए १,३४,७६,६४,८३,५८५ का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी. — विनियोग.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.				
		राजस्व	०	२,०००	२,०००
	भारित विनियोग-लोक ऋण				
		पूंजी	०	२००	२००
००१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	२,००,००,१००	२००	२,००,००,३००
		पूंजी	१२,००,००,२००	०	१२,००,००,२००
००२.	विमानन				
		राजस्व	७५,००,००,४००	०	७५,००,००,४००
		पूंजी	५,४०,००,०००	०	५,४०,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
००३.	गृह				
		राजस्व	२,२००	०	२,२००
		पूंजी	२५,१७,१८,५८२	०	२५,१७,१८,५८२
००६.	वित्त				
		पूंजी	२००	०	२००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय.				
		राजस्व	७७,२०,००,०००	०	७७,२०,००,०००
०१०.	वन				
		राजस्व	४,४००	०	४,४००
		पूंजी	१,३००	०	१,३००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.				
		पूंजी	६,५०,००,००,०००	०	६,५०,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	२०,२०,४००	०	२०,२०,४००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	५,००,००,००,६००	०	५,००,००,००,६००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
		राजस्व	६६,४२,६४,०००	०	६६,४२,६४,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	२००	०	२००
		पूंजी	३,६५,००,००,१००	०	३,६५,००,००,१००
०२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	३,६३,२०,००,०००	२०,००,००,०००	३,८३,२०,००,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य				
		पूंजी	८००	३,००,००,००,०००	३,००,००,००,८००
०२५.	खनिज साधन				
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०२६.	संस्कृति	राजस्व	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा	पूंजी	२,२६,८०,००,१००	०	२,२६,८०,००,१००
०२६	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१७,००,००,०००	१००	१७,००,००,१००
		पूंजी	०	१,००,००,०००	१,००,००,०००
०३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	४०,००,००,००,०००	०	४०,००,००,००,०००
		पूंजी	६००	०	६००
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	५००	०	५००
		पूंजी	२००	०	२००
०३३.	जनजातीय कार्य	राजस्व	५४,००,०१,३००	०	५४,००,०१,३००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	१६,३६,००,३००	०	१६,३६,००,३००
		पूंजी	६१,००,००,०००	०	६१,००,००,०००
०३६.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	४६,१३,२८,८०३	०	४६,१३,२८,८०३
		पूंजी	२०,०१,७०,००,०००	०	२०,०१,७०,००,०००
०४०.	पंचायत	राजस्व	१६,३२,५०,००,०००	०	१६,३२,५०,००,०००
०४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.	राजस्व	५००	०	५००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	३,६००	०	३,६००
		पूंजी	१,३००	०	१,३००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	८,६४,०६,६६,३००	०	८,६४,०६,६६,३००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०५३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	२००	०	२००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१७,६३,७५,००,६००	०	१७,६३,७५,००,६००
योग		राजस्व :	८४,४८,५७,५८,१०३	२,३००	८४,४८,५७,६०,४०३
		पूंजी :	४७,०७,३७,२२,६८२	३,२१,००,००,२००	५०,२८,३७,२३,१८२
		वृहद् योग :	१,३१,५५,६४,८१,०८५	३,२१,००,०२,५००	१,३४,७६,६४,८३,५८५

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख १ दिसम्बर, २०२५.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.